Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- डीडवाना– कुचामन में पीथदान चारण सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां डीडवाना–कुचामन, एक लाख रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, 05 मई 2026, मंगलवार। एसीबी, मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. (एस.यू.) अजमेर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये आरोपी **पीथदान चारण सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां डीडवाना–कुचामन** द्वारा परिवादी को जारी नोटिस का फैसला परिवादी के पक्ष में करने की एवज में परिवादी से **1,00,000/– रूपये** रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि ए.सी.बी. (एस.यू.) अजमेर को एक शिकायत इस आशय की प्राप्त हुई कि परिवादी को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 (यथा संशोधित 2016) की धारा 28(3) के अन्तर्गत जारी नोटिस एवं गबन के आरोप का नोटिस दिनांक 01.04.26 व 15.04.26 का फैसला परिवादी के पक्ष में करने की एवज में 1,00,000/– रूपये की रिश्वत मांग कर परेशान किया जा रहा था।

जिस पर एसीबी रेंज अजमेर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री नारायण टोगस** के सुपरवीजन मे एसीबी चौकी एस.यू. अजमेर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वन्दना भाटी**, के निर्देशन में **श्री नरेन्द्र सिंह राठौड पुलिस निरीक्षक** द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए पीथदान चारण सहायक रजिस्ट्रार,को 1,00,000/– रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक श्रीमती एस.परिमला** के सुपरवीजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।